कार्यालय सहकारी गन्ना विकास समिति, बुढाना
अति–अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना (ई–प्रोक्योरमेन्ट सूचना)

पत्रांकः– मीमो   दिनांकः–22.03.2018

गन्ना आयुक्त महोदय,उ0प्र0 लखनऊ की ओर से सहकारी गन्ना विकास समिति बुढाना के द्वारा गन्ना विकास विभाग एवं राज्य/केन्द्र सरकार के समस्त राजकीय विभागो मे ए.बी.सी एवं डी श्रेणी मे पंजीकृत ठेकेदारो के निम्न लिखित कार्यो हेतु प्रतिशत दर पर मुहरबन्द ऑनलाईन http://etender.up.nic.in के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है–

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	लागत लाख रु.	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (स्टेशनरी *निविदा मूल्य 18% जी.एस.टी. सहित)	सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति, बुढाना	जिला गन्ना अधिकारी का पता	उप गन्ना आयुक्त का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मु0नगर	कार्यालय सहकारी गन्ना विकास समिति, बुढाना में भवन की मरम्मत का कार्य।	9.72	97200.00	500+300 +54=854.00	कार्यलय सहकारी गन्ना विकास समिति,बुढाना (मु0नगर)	जिला गन्ना अधिकारी मु0नगर	कार्यालय उप गन्ना आयुक्त, परिक्षेत्र–सहारनपुर

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रकाशित होने की तिथि 23.03.2018
2. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा सूचना की तालिका में कालम सं0–7 के अनुसार अप्रत्यर्पणीय शुल्क (नॉन रिफन्डेबिल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उपरोक्त धनराशि के लिए सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति बुढाना जनपद मु0नगर के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइट http://etender.up.nic.in से दिनांक 26.03.2018 दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 31.03.2018 दोपहर 12:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है।
3. बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता एवं बिड–सबमिट करने का माध्यम–
   (क) बिड डाक्यूमेन्ट आन–लाईन 26.03.2018 दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 31.03.2018 दोपहर 12:00 बजे तक उपलब्ध है जो आन–लाईन http://etender.up.nic.in पर दिनांक 31.03.2018 दोपहर 12:00 बजे तक सबमिट किया जायेगा, तथा फाईनेंशियल बिड दिनांक 31.03.2018 को अपरान्ह 01:00 बजे कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी जनपद मु0नगर में खोली जायेगी।
   (ख) निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाईट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जो निःशुल्क है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजीटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग प्राधिकरण द्वारा जारी वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नही होगा।
4. निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्र उपरोक्त निविदा के कालम सं0– 09 में दर्शाये गये कार्यालय में दिनांक 31.03.2018 दोपहर 12:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा नॉन रेस्पॉन्सिव घोषित कर दी जायेगी। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमन्त्रितकर्ता /विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।
   (क) निविदा मूल्य सम्बन्धित मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट।
   (ख) बिड सिक्योरिटी (बिड डाक्यूमेन्ट के अनुसार अनुमन्य रूप में) मूल (ओरिजनल) में।
6. 10 लाख से अधिक लागत के कार्यो पर टेक्निकल बिड अनिवार्य होगी।
   (ग) बिड डाक्यूमेन्ट के आई0टी0बी0 के अनुरूप निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं की सत्यता के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल (ओरिजनल) में।
7. निविदा प्रपत्र के अनुसार प्रीबिड बैठक दिनांक 28.03.2018 को जिला गन्ना अधिकारी मु0नगर के कार्यालय में 12:00 बजे दोपहर आयोजित की जायेगी। जिसमें कार्य से सम्बन्धित समस्त जानकारियां प्राप्त की जा सकती है।
8. निविदा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्रों को जिस लिफाफे में बंद कर उपलब्ध कराया जाये उस पर निविदादाता द्वारा केवल बिड आई0डी0 संख्या (जो आन–लाईन निविदा सबमिट करने पर वेबसाईट द्वारा प्रजनित होती है।) एवं कार्य का नाम ही अंकित की जायेगा। इस लिफाफे पर निविदादाता द्वारा अपना अथवा अपनी फर्म का नाम अंकित नहीं किया जायेगा। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमन्त्रितकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।
9. धरोहर धनराशि निविदा प्रपत्र (बिडिंग डाक्यूमेन्ट्स) में निर्धारित किसी एक रूप में देनी होगी तथा निविदा प्राप्ति से 6 माह तक वैध होनी चाहिए। जोकि सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति बुढाना जनपद मु0नगर के पक्ष में बन्धक होगा। बैंक गारण्टी मान्य नही होगी।
10. विस्तृत विवरण आन–लाईन http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। आन–लाईन सिस्टम में रूकावट होने पर अनापेक्षित देरी के लिये निविदा आमंत्रक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. कार्यादेश प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त ही जारी किये जायेंगे।
12. निविदा की वैधता निविदा प्राप्ति के दिन से 90 दिन तक होगी। वैधता की अवधि में निविदा को वापस नही लिया जायेगा।
13. जी0एस0टी0 की दरें शासनादेश के अनुसार देय होगी।
14. आई0टी0बी0 के क्लॉज के अनुसार कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो सेवानिवृत्ति की अवधि 02 वर्ष के बाद तक बिना सरकार की अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिए प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
15. निविदा के सम्बन्धित निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईंग , विशिष्टियां, मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तो जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है, को सम्बन्धित सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति के कार्यालय में जिनका उल्लेख कॉलम 09 में किया गया है, किसी कार्य दिवस में पूर्वाहन 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक दिनांक 26.03.2018 से दिनांक 31.03.2018 तक देखा जा सकता है।
16. निविदादाता को यह परामर्श दिया जाता है कि वो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वास्तविक कार्य स्थल की जांच करने के साथ–साथ ही निर्माण कार्यो के सवाल भी देख ले, यह समझा जायेगा कि निविदा डालने से पहले उन्होंने कार्यक्षेत्र, स्थानीय दशाओं, रेखाचित्र , विशेष विवरणों, संविदा शर्तो आदि से परिचित कर लिया है।
17. कोई भी निविदाकर्ता जिसका आपराधिक रिकार्ड है, निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित है। ऐसे निविदाकर्ता जो राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे (निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे)
18. निविदाकर्ता द्वारा सभी सूचना/डाक्यूमेंट निर्धारित प्रस्तुत (सीडीडी–टी–4, सीडीडी–टी–5, सीडीडी–टी–6) में प्रत्येक निविदा के साथ सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से सत्यापित कराकर मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
19. कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है। जिसके लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
20. शासनादेश सं0– 6738/23–07–2006–176 (एल0के0ओ0)/06 दिनांक 05.01.2007 के अनुसार निविदा/ निविदा सूचना का प्रारूप अंग्रेजी भाषा में अनुमोदित है। परन्तु निदेशक सूचना एवं सम्पर्क विभाग उ0प्र0 सरकार के आदेशानुसार निविदा सूचना हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित की जा सकती है। इसी क्रम में इस निविदा सूचना को हिन्दी भाषा में रूपान्तरित किया गयाहै। किसी प्रकार की भिन्नता/विषमता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा की निविदा सूचना अन्तिम मानी जायेगी।
21. कार्य के बीजक का भुगतान करते समय नियमानुसार जी0एस0टी0, आयकर लेबर सेस एवं अन्य आरोपित करों की कटौती की जायेगी।
22. कार्य की मात्रायें घटायी या बढायी जा सकती है।
23. निर्माण कार्य पर उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान किसी भी प्रकार की वसूली निकलती है तो उसका व्यय वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

24. अनुबन्ध गठन के समय नियमानुसार स्टाम्प पेपर देय होगा।

25. शासनादेश संख्या 622/23.12.2012 –02 आडिट /08, टी.एस.–02 दिनाक 08.06.2012 के आदेशानुसार प्रतिशत कम दर देने पर ठेकेदार को अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न प्रकार देय होगा।

(क) 10 प्रतिशत कम दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर।

(ख) 10 प्रतिशत अधिक दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर।

26. गन्ना आयुक्त स्तर से समय–समय पर जारी अथवा जारी किये जाने वाले निर्देशों/आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

27. विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।

28. निविदा सूचना में प्रकाशित कार्यो के लिये डिफैक्ट लाइबिलिटी समयावधि कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि से एक वर्ष बाद तक एवं सतह नवीनीकरण , सुदृढीकरण, विशेष मरम्मत दो वर्ष बाद तक होगी।

29. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग तथा एम0ओ0आर0डी0 की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित किया जायेगा।

30. समस्त दरों में जी0एस0टी0 को छोडकर समस्त प्रकार के कर, रायल्टी एवं लाभांश सम्मिलित है।

31. ठेकेदार को रायल्टी भुगतान का यथोचित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में रॅायल्टी देयक भुगतान के समय अनुमन्य दरों के अनुसार ठेकेदार के बिल से काटी जायेगी।

अवर अभियन्ता
सहकारी गन्ना विकास समिति बुढाना
मुजफ्फरनगर

सचिव
सहकारी गन्ना विकास समिति बुढाना
मुजफ्फरनगर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति, जनपद मु0नगर।
2. समस्त अवर अभियन्ता, सहकारी गन्ना विकास समिति, मु0नगर।
3. समस्त सहायक अभियन्ता, गन्ना विकास विभाग, परिक्षेत्र सहारनपुर।
4. जिला गन्ना अधिकारी, मु0 नगर।
5. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, परिक्षेत्र सहारनपुर।
6. उप गन्ना आयुक्त, परिक्षेत्र सहारनपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मु0नगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया लो0नि0वि0 के अन्य खण्डों को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. जिला पंचायत, मु0नगर।
9. उप निदेशक मण्डी मु0नगर।
10. मुख्य अभियन्ता, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
11. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

सचिव
सहकारी गन्ना विकास समिति बुढाना
मुजफ्फरनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by NAND LAL SHARMA
Date: 2018.03.26 11:24:31 IST
Location: Uttar Pradesh

Scanned by CamScanner